



# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017  
दूरभाष: 0141-2709846, E-mail: rcse.ict@gmail.com



क्रमांक:-रामाशिप/जय/ICT/Gen./2018 5216

दिनांक 2/8/2018

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) एवं  
जिला परियोजना समन्वयक,  
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान  
समस्त जिले।

**विषय:- आईसीटी लैब में कम्प्यूटर फर्नीचर के संबंध में दिशा-निर्देश।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आईसीटी योजनान्तर्गत विभिन्न चरणों में कम्प्यूटर लैब हेतु स्वीकृत की गई राशि के द्वारा सेवाप्रदाता फर्म/संस्था प्रधान द्वारा आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध करवाया गया साथ ही रमसा द्वारा निर्मित आईसीटी लैब में भी फर्नीचर की राशि स्वीकृत की गई है।

यदि किसी कारण वश कम्प्यूटर फर्नीचर हेतु राशि का दोहराव हो गया है तो उक्त राशि का उपयोग विद्यालय में कम्प्यूटर लैब के अन्य आवश्यक (कम्प्यूटर स्टेशनरी, प्रिन्टर कार्टेज, CD/DVD, Computer Paper Rim, विद्युत व्यय, टेलिफोन, इन्टरनेट/Broadband इत्यादि) व्यवस्थार्थ किया जावें। जिला कार्यालय द्वारा समस्त विद्यालयों की रिपोर्ट प्राप्त कर राज्य कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में राशि हस्तान्तरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि विद्यालय में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत फर्नीचर अथवा कम्प्यूटर लैब संबंधित राशि का दोहराव नही हो।

अतः ध्यान रखा जाना है कि किसी भी स्थिति में आईसीटी योजनान्तर्गत स्थापित लैब तथा रमसा द्वारा स्वीकृति कम्प्यूटर कक्ष में फर्नीचर की दोहरी उपलब्धता न हो।

www.rajteachers.com

(सुरेश चन्द्र)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

दिनांक 2/8/2018

क्रमांक:-रामाशिप/जय/ICT/Gen./2018 5217

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिअ, जयपुर।
2. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा को प्रतिलिपि देकर लेख है कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करावें।
3. समस्त संबंधित आईसीटी संचालित विद्यालय के संस्थाप्रधानों को पत्र प्रेषित कर लेख है कि कम्प्यूटर लैब में स्थापित समस्त उपकरणों की सुरक्षा बीमा करवाना सुनिश्चित करे।
4. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त-तृतीय